राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/ दिनांकः 26-11-2014

परिपत्र–6

भामाशाह योजनान्तर्गत परिवार/व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड बनवाने एवं वितरण के संबंध में निम्न दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं–

अ. परिवार का भामाशाह कार्ड

1. ऐसे परिवार जिनका भामाशाह नामांकन हो चुका है, को भामाशाह परिवार कार्ड राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाया जायेगा।
2. ऐसे परिवार जिनके भामाशाह कार्ड गुणवत्ता जांच व द्वितीय सत्यापन उपरान्त तैयार हो चुके है, को कार्ड वितरण हेतु संबंधित विकास अधिकारी को ग्राम पंचायतवार तथा उपखण्ड अधिकारी को शहरी वार्डवार भामाशाह कार्ड तैयार करने वाली एजेन्सी द्वारा सीधे प्रेषित किए जाएंगे।
3. ब्लॉक/शहरी निकाय स्तर पर इन कार्डों को वितरण हेतु संबंधित ग्राम सेवक/वार्ड निरीक्षक आदि को प्रेषित किये जाएंगे तथा ब्लॉक/शहरी निकाय स्तर पर ग्राम सेवक/वार्ड निरीक्षक/अन्य को वितरण हेतु उपलब्ध करवाये गये भामाशाह कार्डों का रिकार्ड ग्राम पंचायत/शहरी वार्डवार परिशिष्ट–1 में उपलब्ध प्रारूप में संधारित किया जावेगा।
4. ग्राम पंचायतवार/शहरी वार्ड में भामाशाह कार्ड वितरण हेतु निर्धारित समय व दिनांक से क्षेत्र में सूचना दी जावेगी। वितरित किये जा रहे कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे इसके लिएः–
   - भामाशाह कार्ड संबंधित परिवार के मुखिया/बालिग सदस्य को उपलब्ध करवाया जावे।
   - यथा सम्भव परिवार के साक्षर/शिक्षित सदस्य को कार्ड दिया जावे। यदि परिवार के सदस्य अशिक्षित है तो वितरण करने वाले कार्मिक द्वारा कार्ड पर अंकित समस्त सूचनाए पढ़कर सुनाई जावे।
   - वितरित किए गए कार्डों की सूचना परिशिष्ट–2 पर उपलब्ध प्रारूप में संधारित की जाएगी।
   - यदि कार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो कार्ड का वितरण नहीं किया जाकर संबंधित परिवार के मुखिया से परिशिष्ट–3 में आवेदन प्राप्त कर संशोधन की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।
   - प्राप्त आवेदन मूल भामाशाह कार्ड के साथ ब्लॉक भामाशाह प्रबंधक को संशोधन की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। जिस पर ब्लॉक स्तर पर ही निर्णय लिया जाकर भामाशाह पोर्टल पर संशोधन की कार्यवाही की जावेगी।

- सभी कार्ड त्रुटिरहित वितरण किये जाएंगे, यदि त्रुटिपूर्ण कार्ड वितरण किया जाता है तो संबंधित कार्मिक (वितरक) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- भामाशाह पोर्टल पर संशोधन उपरान्त नवीन कार्ड बनवाया जाकर उक्तानुसार वितरण की कार्यवाही की जाएगी।

ब. व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड

5. परिवार जिनका भामाशाह नामांकन हो चुका है, उस परिवार का कोई भी नामांकित सदस्य व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड बनवाने हेतु आवेदन कर सकता है। इस हेतु आवेदक 30 रूपये (अक्षरे तीस रूपये) शुल्क निकटस्थ ई–मित्र केन्द्र पर जमा करवाकर अपने बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
6. भामाशाह कार्ड तैयार करने वाली एजेन्सी द्वारा व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड, आवेदक द्वारा जिस ई–मित्र केन्द्र से आवेदन किया है, को सीधे प्रेषित किए जाएंगे। आवेदक ई–मित्र केन्द्र पर पुनः अपने बायोमेट्रिक सत्यापन द्वारा व्यक्तिगत कार्ड प्राप्त कर सकता है।

स. परिवार का भामाशाह कार्ड निम्नांकित स्थिति में ही सृजित किया जाएगाः –

- नामांकित परिवार के मुखिया का बैंक खाता होने,
- कम से कम मुखिया व परिवार के एक अन्य सदस्य की आधार संख्या होने,
- सम्पूर्ण परिवार का भामाशाह नामांकन होने तथा
- परिवार से सम्बन्धित समस्त जानकारी पूर्ण व सही अंकित होने पर

अतः जिन परिवारों की नामांकन सूचना में उपरोक्त अंकित पूर्णता का अभाव है, उसे शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कराया जाए।

(सी.एस.राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान।
8. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर, राजस्थान।
9. गार्ड पत्रावली।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

परिशिष्ट–1

पंचायत समिति/शहरी निकाय .... क्षेत्र के ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड................................ के निवासियों को वितरित भामाशाह कार्डों का विवरण

क्र. सं.	भामाशाह कार्ड संख्या	ब्लॉक स्तर पर प्राप्ति का दिनांक	वितरण हेतु उपलब्ध करवाने की दिनांक	प्राप्तकर्ता का नाम पद व मोबाईल नम्बर	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	कुल कार्ड				विशेष विवरण
						प्राप्त	जारी	वितरित	त्रुटि आदि के कारण वापिस प्राप्त	
	................से..................तक									

परिशिष्ट–2

ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड................................ के निवासियों को वितरित भामाशाह कार्डों का विवरण

क्र. सं.	भामाशाह कार्ड संख्या	प्राप्ति का दिनांक	वितरण की दिनांक	प्राप्तकर्ता का नाम व मोबाईल नम्बर	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित करने का कारण व दिनांक
					मेरे परिवार के भामाशाह कार्ड पर अंकित समस्त सूचनाएं सही है। हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता	
					मेरे परिवार के भामाशाह कार्ड पर अंकित समस्त सूचनाएं सही है। हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता	

परिशिष्ट–3

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी
(ब्लॉक भामाशाह प्रबंधक)
उपखण्ड ....
जिला.................................।

विषयः– परिवार के भामाशाह कार्ड में त्रुटि सुधार बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे परिवार के भामाशाह कार्ड मे निम्न त्रुटि सुधार करवाने का श्रम करावे।

परिवार के मुखिया का नाम	
भामाशाह कार्ड क्रमांक	

क्र.सं.	भामाशाह कार्ड में अंकित त्रुटि	संशोधन जो किया जाना है

संलग्नः– परिवार भामाशाह कार्ड

भवदीय

मुखिया का नाम
व हस्ताक्षर

अनुशंसा

प्राप्त आवेदनानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

नाम व हस्ताक्षर मोहर सहित
अनुशंसा करने वाला अधिकारी / कर्मचारी

स्वीकारकर्ता

प्राप्त आवेदनानुसार संशोधन किया जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नाम व हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
(ब्लॉक भामाशाह प्रबंधक)